राजस्व अपील संख्या – 39/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/270

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या – 39/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/270

अपीलांट–

पार्श्वनाथ लैण्ड डवलपर्स जरिये मैनेजर पार्श्वनाथ लैण्ड डवलपर्स पता पार्श्वनाथ सिटी, सांगरिया, जोधपुर

बनाम

रेस्पोन्डेन्टस –

1. सुरेश पुत्र चुन्नीलाल जाति भील निवासी ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार, जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रकरण सं. 01/2017 अनवान सुरेश बनाम डायरेक्टर पार्श्वनाथ सिटी पाल में तहसीलदार, जोधपुर द्वारा दिनांक 14.12.2020 को आदेश पारित कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया गया।

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी (अपीलांट की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी (प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से)

निर्णय

दिनांक– 28.08.2025

अपीलांट्स द्वारा यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अंतर्गत, तहसीलदार, जोधपुर द्वारा प्रकरण सं. 01/2017 अनवान सुरेश बनाम डायरेक्टर, पार्श्वनाथ सिटी, पाल में पारित आदेश दिनांक 14.12.2020 अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर में दिनांक 03.02.2022 को पेश की है, जो स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 20.01.2025 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी सुरेश व तहसीलदार, जोधपुर को नोटिस जारी किया गया तथा तहसीलदार, जोधपुर के न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी 1 सुरेश की ओर से श्री महेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा पेश किया।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

3. अपील भीमों के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट सुरेश द्वारा न्यायालय तहसीलदार, जोधपुर में दिनांक 18.04.2017 को प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम धिनाणा की ढाणी (पाल) के ख.नं. 568 रकबा 01 बीघा भूमि पर अपीलांट पार्श्वनाथ सिटी की आवासीय कॉलोनी भू माफिया द्वारा काटी गई थी। ख.नं. 568 का मिसल बंदोबस्त में रकबा 29–13 बीघा दर्ज है, परंतु भू माफिया ने केवल 28–13 बीघा भूमि का ही भुगतान कर, 29–13 बीघा भूमि का कब्जा ले लिया। अतः एक बीघा भूमि का कब्जा दिलाया जावे। प्रार्थी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। तहसीलदार न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 25.04.2017 को पटवारी पाल से रिपोर्ट मांगी, जो दिनांक 05.02.2018 को पेश की गई तथा अपीलांट ने दिनांक 22.03.2018 को कथन किया कि प्रार्थी सुरेश से दस्तावेज उपलब्ध कराया जावे। परंतु सुरेश ने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए तथा अपीलांट ने वाद सं. 72/2017 व 58/2017 की प्रतिलिपियां पेश की, जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण अपीलांट द्वारा जवाब पेश करने हेतु विचाराधीन था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही, अपीलांट की बहस सुने बिना तथा अपीलांट के दस्तावेजों का अवलोकन किए बिना ही दिनांक 14.12.2020 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो गैर कानूनी, क्षेत्राधिकार से बाहर, अभिलेख के विपरीत, न्याय व नियमों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। ख.नं. 568 रकबा 28–13 बीघा भूमि का आबादी में संपरिवर्तन हो चुका है तथा यह भूमि कृषि भूमि नहीं रही है। अतः धारा 183 बी के प्रावधान आबादी भूमि पर लागू नहीं किये जा सकते। सहायक कलक्टर, जोधपुर में विचाराधीन वाद में ख.नं. 568 का रकबा 28–13 बीघा ही अंकित किया है, जिसका न्यायालय ने अवलोकन ही नहीं किया। प्रत्यर्थी ने अपीलांट पर दबाव डालने के लिए अपने भाई राजू, महेश व विनोद से ख.नं. 568/1 रकबा 7–02 बीघा की खातेदारी घोषित करवाने का वाद सहायक कलक्टर कोर्ट में दर्ज करवाया तथा दूसरी ओर ख.नं. 568 की 1 बीघा भूमि का कब्जा मांग रहा है, जो विरोधाभाषी है। ख.नं. 568 रकबा 28–13 बीघा का नायब तहसीलदार, जोधपुर के आदेश दिनांक 06.02.1995 से बंटवारा किया गया है, जिसकी पालना में म्यूटेशन सं. 04 दिनांक 04.02.1995 स्वीकृत हुआ है। जिसमें ख.नं. 568/1 रकबा 7–02 बीघा भाईयों को, ख.नं. 568 रकबा, 7–03 बीघा घेवरराम को दिया, जिनका आगे बेचान हुआ है। सुरेश ख.नं. 568 का खातेदार नहीं था। अतः अधीनस्थ न्यायालय में

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रार्थना पत्र पेश करने का उसे अधिकार ही नहीं था। इसी प्रकार ख.नं. 568/3 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा का भी बेचान हो चुका है तथा कुल भूमि 28–13 बीघा ही होती है तथा एक बीघा भूमि कहां से आई। एक ही गांव में दो खसरे नहीं हो सकते। धारा 183 बी के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने यह नहीं दर्शाया कि ख.नं. 568 की भूमि पर किस जगह पर अतिक्रमण किया है। इस प्रकार बिना जांच किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उसे निरस्त किया जावे।

4. अपीलांट ने इस अपील के साथ अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु म्याद अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। म्याद अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानानुसार अपीलांट न्यायालय का यह दायित्व है कि अपील में मेरिट पर अवधि में पेश होने का सर्वप्रथम निर्धारण किया जावे, भले ही प्रत्यर्थीगणों ने इस बाबत एतराज नहीं किया है। अतः यह न्यायालय सर्वप्रथम, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण सर्वप्रथम करना न्यायोचित समझता है।

अपीलांट ने धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि रेस्पोंडेंट सुरेश व उसके साथ 15–20 व्यक्ति दिनांक 25.01.2022 को मौके पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की, तो मैने एतराज किया तो प्रत्यर्थी सुरेश ने तहसीलदार, जोधपुर का आदेश दिनांक 14.12.2020 की प्रति दिखाई एवं सुरेश ने बताया कि फैसला हमारे हक में हो गया है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.01.2022 को हुई। अपीलांट ने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 27.01.2022 को आदेश की नकल हेतु आवेदन पेश किया, जो उसे दिनांक 01.02.2022 को प्राप्त हुई। अतः अपील अंदर म्याद पेश है। यह अपील दिनांक 03.02.2022 को श्रीमान न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर में पेश की गई है।

5. धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस सुनी गई।

6. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी ने अपील मीमों एवं धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वक्त सेटलमेंट ख.नं. 568 का रकबा 29–13 बीघा था, तत्पश्चात् इनका रकबा 28–13 बीघा हो गया। इस खसरे के कई नामांतरकरण हुए है। नामांतरकरण सं. 64 से बंटवारा हुआ है, जिसमें प्रत्यर्थी सुरेश के नाम ख.नं. 568/1 के रूप में 7–02 बीघा प्राप्त हुई है। म्युटेशन नं. 169 से ख.नं. 568 का रकबा 28–13 बीघा हस्तांतरित हो चुका है तथा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नामांतरकरण सं. 184 से पूरी आराजी नगर विकास न्यास, जोधपुर के नाम दिनांक 21.03.2005 को सरेन्डर हो गयी तथा उसके बाद आराजी अपीलांट पार्श्वनाथ सिंटी के नाम आवासीय कॉलोनी के नाम विकसित हुई है। परंतु 2005 में जमाबंदी में शुद्धिकरण का नोट लगाया है जो रिकॉर्ड में उपलब्ध ही नहीं है। सुरेश ने दिनांक 18.04.2017 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 बी में पेश किया, जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 20.03.2018 को पटवारी ने तहसीलदार, जोधपुर के समक्ष पेश की है। प्रार्थना पत्र में वाद कारण अंकित नहीं है। दिनांक 22.03.2018 को अपीलांट ने तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की। दिनांक 18.05.2018 को ग्राम पाल में कैम्प कोर्ट में बयान लिया जिसका कोई नोटिस अपीलांट को नहीं दिया गया, इस प्रकार अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इसके पश्चात् दिनांक 14.12.2020 को तहसीलदार, जोधपुर ने अपीलाधीन आदेश परित किया है तथा पूरी सुनवाई अपीलांट की पीठ के पीछे हुई है। अपीलांट ने जितनी भूमि खरीदी, उतनी पर ही कॉलोनी विकसित की है।

7. प्रत्यर्थी सुरेश के विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने अपीलांट की उक्त बहस का खण्डन करते हुए कथन किया है कि अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में दिंनाक 01.02.2022 को सर्वप्रथम जानकारी होने का कथन किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका अनुसार प्रकरण दिनांक 18.04.2017 को दर्ज हुआ है, जिसमें दिनांक 29.05.2017 को पार्श्वनाथ सिटी के मैनेजर की ओर से प्रार्थना पत्र आगे तारीख देने हेतु पेश किया, इससे पूर्व दिनांक 22.05.2017 को अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री भानू सोनी ने उपस्थिति दी थी। दिनांक 28.07.2017 को श्री संजय कोठारी, अधिवक्ता ने अपीलांट की ओर से वकालतनामा पेश किया है तथा उसके बाद अनुपस्थित रहे। दिनांक 15.03.2018 को अपीलांट की ओर से श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया है। दिनांक 22.03.2018 को उन्होने न्यायालय में उपस्थिति दी है तथा दिनांक 23.03.2018 को दस्तावेजात पेश किया है। इसके पश्चात् दिनांक 04.04.2018, 16.04.2018, 08.05.2018 को उन्होने उपस्थिति दी है। दिनांक 11.06.2018 को अपीलांट की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर खसरा रिकॉर्ड पेश करने हेतु समय चाहा गया है तथा दिनांक 21.06.2018 को भी अधिवक्ता अपीलांट न्यायालय में उपस्थित थे तथा दिंनाक 21.06.2018 से 20.08.2019 तक वे अनुपस्थित रहे। दिनांक 26.08.2019 को

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित रहे तथा उसके पश्चात वे लगातार अनुपस्थित रहे तथा न्यायालय ने दिनांक 14.12.2020 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जिसकी जानकारी दिनांक 25.01.2022 को प्रत्यर्थी द्वारा कब्जा करने की कोशिश करने पर दिनांक 01.02.2022 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर, होने का अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, जो गलत है तथा प्रार्थना पत्र में अंकित कथन सिर्फ अपील को म्याद के अंदर लाने के लिए ही कृत्रिम रूप से अंकित किये है। 13 माह से भी अधिक विलंब से अपील पेश करने की देरी का स्पष्टीकरण संतोषपूर्ण तरीकों से नहीं किया है। देरी के कारण का विवरण प्रतिदिन का देना आवश्यक है। अपील पेश करने में अत्यधिक विलंब किया गया है तथा विलंब का कारण संतोषप्रद नहीं है। इस प्रकार अपीलांट्स के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में समय समय पर उपस्थित थे। उन्होने न्यायालय की कार्यवाही में सक्रियता से भाग लिया है तथा तत्पश्चात् अनुपस्थित रहने मात्र के आधार पर ही, अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे तथा अपील को म्याद बाधित पेश होना मानकर अस्वीकार किया जावे। प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश कर दिया गया है।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन कर, उसका गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में वर्णित अभिकथनों, अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस प्रस्तुत तर्कों तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। माननीय न्यायालयों द्वारा समय समय पर पारित विनिश्चयों का अध्ययन कर, मार्गदर्शन प्राप्त किया।

9. (a)न्यायालय तहसीलदार, जोधपुर द्वारा प्रकरण सं. 01/2017 प्रार्थी सुरेश पुत्र चुन्नीलाल भील द्वारा ग्राम धिनाणा की ढाणी (पाल) के ख.नं. 568 रकबा 01 बीघा भूमि पर से अपीलांट्स द्वारा किये अवैध कब्जे को हटाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 183 बी के तहत दर्ज किया है, जिसमें अपीलांट पार्श्वनाथ सिटी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका अनुसार अपीलांट की ओर से दिनांक 22.05.2017 को श्री भानू सोनी, अधिवक्ता ने उपस्थिति देकर आगे पेशी मांगी गई तथा सुनवाई तिथि 29.05.2017 नियत की गई। दिनांक 29.05.2017 को

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपीलांट की ओर से श्री अनुज बंसल, मैनेजर ने लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर, प्रकरण में पेश प्रार्थना पत्र की प्रति चाही तथा उसका जवाब पेश करने हेतु एक माह का समय मांगा गया, जो स्वीकार कर, अगली सुनवाई तिथि दिनांक 14.06.2017 नियत की गई। दिनाक 28.07.2017 को अपीलांट की ओर से श्री संजय कोठारी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, परंतु इसके पश्चात् श्री संजय कोठारी ने उपस्थिति नहीं दी। दिनांक 15.03.2018 को श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा अपीलांट की ओर से पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 22.03.2018 को श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर, प्रत्यर्थी से कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने के कथन किये है। दिनांक 04.04.2018 को श्री रूघाराम चौधरी वकील ने न्यायालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 3 में दस्तावेजात पेश किये है तथा वे अगली तारीख 16.04.2018 व 08.05.2018 को भी न्यायालय में उपस्थित रहे। दिनांक 18.05.2018 को पत्रावली कैंप कोर्ट, पाल, में पेश हुई, जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। दिनांक 11.06.2018 को श्री रूघाराम चौधरी ने न्यायालय में उपस्थिति दी तथा खसरा का रिकॉर्ड पेश करने हेतु समय मांगा, जो अनुमत किया जाकर अगली तिथि 21.06.2018 नियत की गई। जिसमें श्री चौधरी, अधिवक्ता उपस्थित रहे तथा अगली सुनवाई तिथि 24.07.2018 नियत की गई, परंतु श्री रूघाराम चौधरी अधिवक्ता ने न्यायालय में दिनांक 24.07.2018 एवं पश्चात्वर्ती तिथियों यथा दिनाक 09.01.2019, 15.02.2019, 13.03.2019, 08.04.2019, 23.05.2019, 10.06.2019, 29.07.2019, 20.08.2019 को अनुपस्थित रहे परंतु दिनांक 26.08.2019 को उपस्थित रहे तथा दिनाक 16.09.2020 को उपस्थित थे तथा अगली सुनवाई दिनांक 01.10.2020 नियत की गई, जिसमें अपीलांट अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अगली तिथि 14.12.2020 नियत की गई परंतु अपीलांट के अधिवक्ता अनुपस्थित रहें तथा उनकी अनुपस्थिति में ही अपीलाधीन आदेश दिनाक 14.12.2020 पारित किया गया है, जिसके अनुसार ख.नं. 568 की भूमि का रकबा 29–13 बीघा माना गया तथा अपीलांट का 28–13 बीघा भूमि हस्तांतरित होना माना गया तथा शेष एक बीघा भूमि पर पटवारी की मौका रिपोर्ट में अंकित एवं दर्शित अनुसार पार्श्वनाथ सिटी का अवैध कब्जा माना जाकर, प्रार्थी (प्रत्यर्थी) सुरेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है तथा पटवारी पाल को एक बीघा भूमि का कब्जा दिलाने का आदेश दिया है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(b)अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.12.2020 की अपील दिनांक 03.02.2022 को पेश की गई है जो 415 दिन के विलंब से पेश की है। (दिनांक 14.12.2020 से 03.02.2022 तक) अपीलांट ने उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 25.01.2022 को प्रत्यर्थी सुरेश व अन्य 15–20 व्यक्तियों द्वारा मौके पर आकर कब्जा प्राप्त करने की कोशिश करना बताया है तथा उसके पश्चात् दिनांक 27.01.2022 को आदेश की नकल हेतु आवेदन करना व दिनांक 01.02.2022 को नकल प्राप्त करना अंकित किया तथा अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने की तारीख दिनांक 01.02.2022 से अपील अंदर म्याद सुमार करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है।

(c)प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं जवाब में अंकित कथनों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से उपरोक्त विवरणानुसार भली भांति प्रमाणित है, जिससे स्पष्टतः प्रमाणित है कि अपीलांट को प्रकरण की जानकारी भली भांति थी। अपीलांट एक अनपढ–ग्रामीण व्यक्ति नहीं है बल्कि एक रजिस्टर्ड संस्था है तथा उसके डायरेक्टर्स, पदाधिकारी शिक्षित व्यक्ति है तथा इनका यह दायित्व था कि वे न्यायालय तहसीलदार, जोधपुर में संस्था के खिलाफ विचाराधीन प्रकरण की प्रगति की समय–समय पर जानकारी स्वयं के स्तर से या अपने वकील के स्तर से प्राप्त करते। प्रार्थना पत्र में देरी को क्षम्य करने हेतु अंकित कारण, देरी को क्षम्य करने हेतु पर्याप्त व सद्भावी नहीं है तथा जो कारण अंकित किया है, वह सिर्फ अपील को म्याद के भीतर लाने की दृष्टि से, अपनी सुविधा अनुसार अंकित किया है जो एक सोची समझी योजना का भाग मात्र है। यह न्यायालय प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों के आधार पर देरी को क्षम्य करने के पक्ष में अपना विवेक का प्रयोग करना न्यायोचित नहीं मानता है।

(d)माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने H. Guruswamy व अन्य बनाम A. Krishnaiah, सिविल अपील सं. 317 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2025 में यह अभिनिर्धारित किया है कि अगर विलंब को पर्याप्त कारणों से स्पष्ट नहीं किया है तो प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर विलंब को क्षम्य नहीं किया जा सकता। Held: Court must not start with merit of the case. First ascertain the bonafides of the explanation offered by the party seeking condonation. Own inaction for a long, it cannot be presumed to be non-deliberate delay.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

It is must to present dilatory tactics. Liberal approach, justice oriented approach and substantial justice, should not be employed to frustrate or jettison the substantial law of limitation. It shows complete absence of judicial conscience and restraint. Issue of limitation is not merely a technical consideration, but is based on sound public policy and equity. 'Sword of Democles' cannot be kept hanging over the head of a litigant for an indefinite period of time.

(e)In Surendra G. Shankar V/S Esque finamark Pvt. Ltd- Civil Appeal No. 928/2025, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कहा– "When scope of appeal is limited to delay condonation, merits of the matter cannot be considered."

(f)In Basawraj and Anr. V/S Special Land Acquistion officer, (2013)14 SCC 81- Hon'ble Supreme Court has held that- "Discretion to condone delay has to be excercised judiciously based upon the facts and circumstances of the each case. The expression 'Sufficient Cause' as occuring in section 5 of the limitation Act, cannot be liberally interpreted if negligence, inaction or lack of bonafide is writ large. It was also observed that even though limitation may harshy affects rights of parties but it has to be applied with all its rigours as prescribed under the statue. , as the courts have no choice but to apply law as it stands and the have no power to condone delay an equitable grounds.

10. उपरोक्तानुसार समग्र विवेचन एवं विश्लेषण तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय का मत है कि हस्तगत अपील को पेश करने में हुई देरी को क्षम्य करने हेतु प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य एवं कारण पर्याप्त एवं संतोषप्रद

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नहीं है तथा अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं है तथा अपीलांट समय पर अपील पेश करने में भयंकर रूप से लापरवाह रहा है तथा विलंब शमन हेतु कारणों को स्पष्ट करने से असफल रहा है। परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा देरी को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य है। परिणामतः प्रस्तुत अपील भी म्याद बाहर पेश होने से अस्वीकार योग्य है।

आदेश

11. परिणामतः अपीलांट द्वारा तहसीलदार, जोधपुर द्वारा प्रकरण सं. 01/2017 में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2020 (अंतर्गत धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955) के विरूद्ध दिनांक 03.02.2022 को अपील पेश करने में हुए विलंब को क्षम्य करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम 1963 का अस्वीकार किया जाता है। अतएव अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, निर्धारित अवधि के पश्चात् पेश करने के कारण अस्वीकार की जाती है।
12. निर्णय की प्रति तहसीलदार, कुडी भगतासनी, जिला जोधपुर को प्रेषित की जावे।
13. प्रकरण में लम्बित अन्य समस्त प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) को तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।
14. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
(प्रथम), जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
(प्रथम), जोधपुर